S-31011/12/2021-DIR(NC)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितंबर, 2021

कार्यालय–ज्ञापन

विषय: जीएसटी (GST) प्रणाली सुधार सम्बन्धी मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन।

1. 17.09.2021 को लखनऊ में आयोजित अपनी 45वीं बैठक में, जीएसटी परिषद ने कर चोरी (leakages) को रोकने में आईटी प्रणाली के वर्तमान उपयोग के स्तर और भविष्य की राह की समीक्षा की। परिषद ने यह स्वीकार किया कि आईटी प्रणाली का बेहतर उपयोग ही चोरी को कम करने और साथ ही जीएसटी में अनुपालन (compliance) को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।
2. परिषद ने स्वीकार किया कि आईटी प्रणालियाँ अब स्थिर हो गई हैं और जीएसटी आईटी प्रणाली में आईटी–आधारित 'चेक एंड बैलेंस' (checks and balances) शुरू करने की आवश्यकता है। परिषद ने जीएसटीएन (GSTN) की BIFA प्रणाली जैसे डेटा विश्लेषण के उपयोग को भी स्वीकार किया और जीएसटी प्रशासन की प्रभावकारिता और दक्षता बढ़ाने में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के विस्तार पर जोर दिया।
3. परिषद ने निर्णय लिया कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक मंत्रियों का समूह (GoM) गठित किया जाए। इस संदर्भ में, परिषद ने पहले दो GoM गठित किए थे, एक 'आईटी चुनौतियों' पर और दूसरा 'राजस्व संग्रहण' (revenue mobilization) पर। इन दो पूर्व GoM और प्रस्तावित नए GoM के कार्यों के बीच काफी समानता (overlap) है।
4. तदनुसार, आईटी चुनौतियों और राजस्व संग्रहण पर पूर्ववर्ती GoM को समाहित करते हुए, निम्नलिखित संरचना के साथ **GST प्रणाली सुधारों पर मंत्रियों के समूह** का गठन किया जाता है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम और राज्य	भूमिका
1.	श्री अजीत पवार	उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र	संयोजक
2.	श्री मनीष सिसोदिया	उप मुख्यमंत्री, दिल्ली	सदस्य
3.	श्री दुष्यंत चौटाला	उप मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
4.	श्री बुग्गना राजेंद्रनाथ	वित्त, योजना और विधायी कार्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	सदस्य
5.	श्रीमती अजंता नेओग	वित्त मंत्री, असम	सदस्य
6.	श्री टी. एस. सिंह देव	वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़	सदस्य
7.	श्री निरंजन पुजारी,	वित्त एवं आबकारी मंत्री, ओडिशा	सदस्य
8.	डॉ. पलानीवेल थिगा राजन	वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री, तमिलनाडु	सदस्य

5. जीएसटी प्रणाली सुधारों <u>से सम्बन्धित</u> GoM निम्नलिखित कार्य करेगा:

क. कर अधिकारियों के लिए उपलब्ध आईटी उपकरणों और इंटरफेस की समीक्षा करना और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में बदलाव सहित प्रणाली को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के उपायों का सुझाव देना।

ख. टैक्स चोरी के संभावित स्रोतों की पहचान करें और रेवेन्यू के नुकसान को रोकने के लिए बिज़नेस प्रोसेस और IT सिस्टम में बदलाव का सुझाव दें।

ग. बेहतर अनुपालन और राजस्व वृद्धि के लिए डेटा विश्लेषण के संभावित उपयोग की पहचान करना और ऐसे डेटा विश्लेषण के उपयोग का सुझाव देना;

घ. केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन तथा विभिन्न राज्यों के कर प्रशासनों के बीच बेहतर समन्वय के लिए तंत्र की पहचान करना; और

ङ. अनुशंसित परिवर्तनों के लिए समय सीमा का सुझाव देना।

6. GoM समय-समय पर परिषद को अपनी सिफारिशें देगा और परिषद द्वारा अनुमोदित सुधार उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। जीएसटीएन (GSTN) इस GoM को आवश्यक सचिवालय सहायता प्रदान करेगा।

(डॉ. एन. गांधी कुमार)
निदेशक (राज्य कर)
011-23092613

सेवा में,

1. GoM के सभी सदस्य और अधिकारी
2. राजस्व सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. अध्यक्ष, CBIC, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. CEO, GSTN, एयरोसिटी, नई दिल्ली
5. GST परिषद सचिवालय, नई दिल्ली
6. माननीय वित्त मंत्री के निजी सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. माननीय राज्य वित्त मंत्री के निजी सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली